



कार्यालय, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी
एवं नगर पालिक निगम, भिलाई

// आदेश //

क्रं./एफ— /1/सा.प्र.वि./विविध/25/1653

भिलाई, दिनांक 11/12/2025

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/1089/नि.पं./2025 दुर्ग दिनांक 10.12.2025 में दिए गए निर्देशानुसार निर्वाचन कार्य में लापरवाही व अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 13 ग(ग) सहपठित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत कार्य करने के फलस्वरूप सुश्री माया बी.के., स्वच्छता पर्यवेक्षक जोन 5 नगरपालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जोन कार्यालय जोन क्रमांक 03 मदरटेरेसा नगर, नगरपालिक निगम, भिलाई रहेगा तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

आयुक्त

सह अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी

नगरपालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 11/12/2025

पृ.क्र./एफ— /1/सा.प्र.वि./विविध/25/1654
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) को सूचनार्थ।
2. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. उपायुक्त I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 3 एवं 5, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. सहायक अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. प्रभारी लिपिक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
11. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
12. सुश्री माया बी.के., स्वच्छता पर्यवेक्षक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त

सह अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी

नगरपालिक निगम, भिलाई